संक्षिप्त विचारण अन्तर्गत धारा 263, 264 दंड प्रक्रिया संहिता 1973

न्यायालयः—सुधीर सिंह निगवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरवाई

जिला विदिशा (म.प्र.)

दाण्डिक प्रकरण कमांक—........../22 अपराध किया जाने का दिनांक 31-7-2022

रिपोर्ट या परिवाद का दिनांक 31-7-2022

परिवादी का नाम व पता आबकारी वृत कुरवाई, जिला विदिशा

अभियुक्त/गण का नाम, पैत्रकता, और निवास

मीरा बाई W/O स्व. कोमल सिंह राजपूत उम्र 55 वर्ष
ग्राम भागोदा थाना कुरवाई

परिवादित अपराध का विवरण

1. आप आरोपी/गण ने दिनांक 31-7-2022 समय 14:50 बजे स्थान ग्राम भागोदा आरक्षी केन्द्र कुरवाई, जिला विदिशा मे अपने आधिपत्य मे बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से विकय हेतु 10-पाव देशी मदिरा प्लेन रखे हुये पाये गये। इसके द्वारा आपने धारा 34(1)(क) म.प्र.आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन दंडनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है।

सुधीर सिंह निगवाल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाई, जि0 विदिशा

अभियुक्त/गण का अभिवाक् एवं परीक्षणः—

मुझे स्वेच्छा पूर्वक जुर्म स्वीकार है।

नि. अं. मीरा बाई

सुधीर सिंह निगवाल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाई, जि0 विदिशा

निर्णय

(आज दिनांक 11/10/2022 को घोषित)

निष्कर्ष

01— अभियुक्त/गण की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे/उन्हें धारा 34(1)(क) म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के आरोप मे दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त/गण को परिवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

दंडादेश या अन्य अंतिम आदेश

02— दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त/गण को धारा 34(1)(क) म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन दंडनीय अपराध मे दोषसिद्धी पर न्यायालय अवसान तक की सजा एवं रुपये 1000/ रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त/गण को 15--15 दिवस का कठोर कारावास भुगताया जावे।

03— प्रकरण मे जप्तशुदा 10-पाव देशी मदिरा प्लेन ....

धारा 452(4) दंड प्रकिया संहिता मे विहित सीमावधि पश्चात् नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

11/10/2022

सुधीर सिंह निगवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाई, जि. विदिशा

सुधीर सिंह निगवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.)

मेरे आलेख पर टंकित किया गया।

11/10/2022

सुधीर सिंह निगवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाई, जि. विदिशा

सुधीर सिंह निगवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.)